International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव

धीरेन्द्र चौहान

एम. ए. (इकोनॉमिक्स),यूजीसी नेट

शोध (Abstract)

वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्याश्रित मूल्य संवर्धित कर यानी वैट, चुंगी, और प्रवेश कर को खत्म करके एक साफ और एकीकृत कराधान बनाया। इस शोध पत्र में जीएसटी की अवधारणा, संरचना, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवा, लघु एवं मध्यम उद्यम, कर संग्रह, राजस्व वितरण, और खासकर सामान्य उपभोक्ता पर प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से साफ है कि जीएसटी ने करारोपण के आधार को बढ़ाया है, करापवंचन कम किया है, और एक राष्ट्र, एक कर की सोच को साकार किया है। लेकिन हर प्रक्रिया के विकसित होते चरणों की तरह, इसके लागू करने में भी तकनीकी कठिनाइयां, अनुपालन का बोझ, और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल असर जैसी चुनौतियां आईं। यह शोध पत्र इन सभी पहलुओं का पूरा मूल्यांकन पेश करता है और भविष्य में सुधारों के लिए सुझाव भी देता है।

मुख्य शब्द: जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, भारतीय अर्थव्यवस्था, कर सुधार, राजस्व संग्रह, जीएसटी परिषद

1. प्रस्तावना

भारत जैसे बड़े और विविधपूर्ण देश में कर प्रणाली का सरल और प्रभावी होना आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बेहद जटिल थी। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और सेवा कर लेती थी, जबकि राज्य सरकारें बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, चुंगी, मनोरंजन कर जैसे विभिन्न कर वसूलती थीं। इस बहुस्तरीय कर संरचना के कारण करों का व्यापगमन होता था, यानी एक कर के ऊपर दूसरा कर लगाया जाता था। इससे वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम लागत बढ़ जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से एक एकीकृत कर प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जीएसटी की अवधारणा पर गंभीरता से विचार किया गया और एक समिति का गठन किया गया। लगभग सत्रह वर्षों की चर्चा, संवाद, संविधान संशोधन और राजनीतिक सहमति के बाद, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से जीएसटी को संवैधानिक रूप दिया गया। अंत में, इसे 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष सत्र के दौरान पूरे देश में लागू किया गया। इसे गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में भी प्रचारित किया गया।

जीएसटी का मुख्य उद्देश्य भारत को एक साझा राष्ट्रीय बाजार में बदलना, कर ढांचे को सरल बनाना, कर चोरी रोकना, व्यापार करने की सुविधा में सुधार करना और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाना था। मेरा यह शोधपत्र इन्हीं उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास करता है।

2. शोध के उद्देश्य एवं पद्धति

2-1 शोध के उद्देश्य

- जीएसटी की संकल्पना, संरचना और ऐतिहासिक विकास को समझना।
- जीएसटी लागू होने से पहले की कर प्रणाली की जटिलताओं का अध्ययन करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- जीएसटी संग्रहण के रुझानों और राजस्व वितरण की समीक्षा करना।
- जीएसटी क्रियान्वयन की चुनौतियों को पहचानना और सुधार के लिए सुझाव देना।

2.2 शोध पद्धति

यह शोध पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, जीएसटी परिषद की रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, अकादमिक शोध पत्रों और प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों से मिली सूचनाओं का विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक तरीके से अध्ययन किया गया है।

3. जीएसटी से पूर्व भारत की कर प्रणाली

जीएसटी से पहले भारत में अप्रत्यक्ष करों की एक जटिल श्रृंखला थी। केंद्र सरकार कई कर लगाती थी, जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और सीमा शुल्क। राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर, मंडी कर, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर और मनोरंजन कर वसूलती थीं। हर राज्य की अपनी वैट दरें और नियम थे, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार में बहुत जटिलता पैदा होती थी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी थी कि एक कर पर दूसरा कर लग जाता था। उदाहरण के लिए, उत्पाद शुल्क चुकाने के बाद वस्तु पर वैट भी लगाया जाता था, जिसमें उत्पाद शुल्क शामिल था। इस तरह उपभोक्ता को कर पर कर का बोझ उठाना पड़ता था, जिसे व्यापार प्रभाव या कासकेडिंग कहा जाता है। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय व्यापार पर केंद्रीय बिक्री कर लगता था। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उपलब्ध नहीं था। इससे माल की लागत और बढ़ जाती थी। राज्यों की सीमाओं पर चेक-पोस्टों के कारण ट्रकों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, जिससे रसद लागत में भारी बढ़ोतरी होती थी। कुल मिलाकर यह प्रणाली जटिल, अकुशल, अपारदर्शी और कर चोरी को बढ़ावा देने वाली थी।

4. जीएसटी की संरचना एवं स्वरूप

भारत में जीएसटी को समझना अब काफी आसान हो गया है। सीधे शब्दों में कहें, तो यह एक डुअल मॉडल पर काम करता है, यानी राज्य के भीतर होने वाली खरीद-बिक्री पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर टैक्स लेते हैं। वहीं, जब व्यापार दो राज्यों के बीच या विदेश से होता है, तो केंद्र सरकार IGST वसूलती है, जिसे बाद में राज्यों में बांट दिया जाता है। पहले इसमें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के चार मुख्य स्लैब हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में 22 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 के तहत बड़ा बदलाव किया गया। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब खत्म कर दिए। अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो ही स्लैब बचे हैं, जबकि लग्जरी चीजों के लिए एक नया 40 प्रतिशत का स्लैब लाया गया है। रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें अभी भी टैक्स-फ्री हैं, तो वहीं पेट्रोल, शराब और बिजली को इससे बाहर रखा गया है।

4.1 जीएसटी परिषद

भारत में जीएसटी से जुड़े सभी बड़े फैसले श्जीएसटी काउंसिलश् लेती है। इस अहम कमेटी के मुखिया देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। टैक्स की दरें तय करना हो या किसी सामान को टैक्स-फ्री करना, ये सारे निर्णय यहाँ सबकी

आपसी सहमति से होते हैं, जो टीमवर्क की एक बेहतरीन मिसाल है। इस पूरी व्यवस्था की असली ताकत इनपुट टैक्स क्रेडिट (**ICT**) है। इसका मतलब है कि कोई कारोबारी सामान खरीदते समय जो टैक्स चुकाता है, उसकी छूट उसे सामान बेचते वक्त मिल जाती है। इससे टैक्स पर दोबारा टैक्स नहीं लगता और ग्राहक पर भी फालतू का बोझ नहीं पड़ता।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव

जीएसटी भारत का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर के सिद्धांत पर काम करने वाले इस सिस्टम ने देश के बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आइए इसके मुख्य फायदों को आसान शब्दों में समझते हैं:-

1. जीएसटी से पहले भारत 29 अलग-अलग बाजारों में बंटा हुआ था, क्योंकि हर राज्य के अपने टैक्स नियम थे। जीएसटी ने इन सीमाओं को खत्म कर पूरे देश को एक साझा बाजार बना दिया, जिससे राज्यों के बीच व्यापार बेहद आसान हो गया है।
2. सड़कों पर बने टैक्स चेक-पोस्ट हटने से ट्रकों का सफर तेज हो गया है। अब कंपनियों को टैक्स बचाने के लिए हर राज्य में छोटे-छोटे गोदाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती; वे अब बड़े और आधुनिक रीजनल वेयरहाउस बना पा रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च काफी घट गया है।
3. रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न भरने तक, जीएसटी का पूरा ढांचा ऑनलाइन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए कारोबारियों को खरीद-बिक्री का सही हिसाब देना होता है। इस पारदर्शिता की वजह से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है और टैक्स चोरी पर लगाम लगी है।
4. शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद अब सरकार का मासिक जीएसटी कलेक्शन लगातार मजबूत हो रहा है। ई-वे बिल और डेटा एनालिटिक्स की मदद से फर्जी बिल बनाने वालों पर सख्ती बढ़ी है, जिससे देश के राजस्व में स्थिरता आई है।
5. दर्जनों टैक्सों के झंझट से मुक्ति मिलने के कारण भारत में व्यापार करना सरल हुआ है। यही वजह थी कि साल 2020 की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भारत 142वें स्थान (2014) से छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया था। हालांकि, अब वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बंद करके नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके पहले नतीजे सितम्बर 2026 तक आने वाले हैं।
6. इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से सामान बनाने की लागत कम हुई है, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स विदेशी बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाए हैं और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ताकत मिली है।

6. जीएसटी की चुनौतियां एवं नकारात्मक प्रभाव

जीएसटी को बेशक एक ऐतिहासिक टैक्स सुधार माना जाता है, लेकिन इसके सफर में कई मुश्किलें और चुनौतियां भी सामने आई हैं। इसके कुछ प्रमुख नकारात्मक पहलुओं और व्यावहारिक दिक्कतों को बेहद आसान शब्दों में समझते हैं:-

1. जब जीएसटी लागू हुआ, तो इसके ऑनलाइन पोर्टल में कई तकनीकी खामियां थीं। सर्वर का बार-बार धीमा होना, रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख पर वेबसाइट का क्रैश हो जाना और जटिल फॉर्म्स की वजह से व्यापारियों, खासकर छोटे दुकानदारों को भारी मानसिक तनाव और असंतोष का सामना करना पड़ा।
2. भारत के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी अब तक पारंपरिक तरीके से बही-खाता संभालते आ रहे थे। अचानक से डिजिटल बिलिंग, हर महीने रिटर्न भरना और कंप्यूटर पर टैक्स का हिसाब रखना उनके लिए एक बड़ा बदलाव था। इसके अलावा, टैक्स का रिफंड समय पर न मिलने से उनके पास कैश फ्लो (नकदी) की कमी हो गई, जिससे उनका रोजमर्रा का व्यापार प्रभावित हुआ।
3. शुरुआत में सोचा गया था कि जीएसटी एक बेहद सरल और श्एक देश, एक टैक्सश् वाली व्यवस्था होगी। लेकिन हकीकत में इसे 05%,12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैब में बांट दिया गया। हालांकि 2025 में हुए बड़े बदलाव (जीएसटी 2.0) के

बाद अब मुख्य रूप से 05%, 18% और लग्जरी सामानों के लिए 40% के टैक्स स्लैब बचे हैं, फिर भी सामानों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटने को लेकर असमंजस बना रहता है। कई बार तो इस बात पर कानूनी विवाद तक हो चुके हैं कि कोई खाने की चीज किस टैक्स स्लैब में आएगी।

4. जीएसटी के नियमों का पालन करने के लिए छोटे व्यापारियों को भी चार्टर्ड अकाउंटेंटया टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा, तकनीकी दिक्कतों या देरी की वजह से जुर्माना भी लग जाता है। इन सब वजहों से उनका खर्च बढ़ गया है, जो छोटे और ग्रामीण इलाकों के कारोबारियों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है।
5. शुरुआत में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई पांच साल तक की जाएगी। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान जब टैक्स कलेक्शन कम हुआ, तो इस फंड में कमी आ गई। इसके चलते राज्यों को समय पर मुआवजा नहीं मिला, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा।
6. जीएसटी लागू होने के शुरुआती दिनों में फोन बिल, बैंकिंग और होटल जैसी कई जरूरी सेवाएं महंगी हो गई थीं। इससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा और महंगाई बढ़ने की चिंताएं सामने आईं, हालांकि समय के साथ यह स्थिति काफी हद तक संभल गई।

7. विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी का प्रभाव

1. विनिर्माण और सेवा क्षेत्र-जीएसटी से पहले कंपनियां टैक्स बचाने के चक्कर में अक्सर उन राज्यों में फैक्ट्रियां लगाती थीं जहाँ टैक्स छूट मिलती थी, भले ही वह जगह व्यापार के लिए सही न हो। अब एक देश, एक टैक्स होने से फैसले बिजनेस की सहूलियत (जैसे कच्चा माल और लेबर की उपलब्धता) देखकर लिए जाते हैं। सेवा क्षेत्र (बैंकिंग, आईटी, बीमा) के लिए शुरुआती दौर में टैक्स 15 प्रतिशत से बढ़कर 18प्रतिशत होने और हर राज्य में अलग रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से मुश्किलें आईं। लेकिन अब उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा फायदा मिल रहा है, जिससे टैक्स पर टैक्स लगने की पुरानी बीमारी खत्म हो गई है।
2. कृषि और ई-कॉमर्स -आम लोगों को राहत देने के लिए फल, सब्जी, दूध और अनाज जैसे बुनियादी कृषि उत्पादों को टैक्स-फ्री रखा गया है। हालांकि, खाद, कीटनाशक और ट्रैक्टरों पर टैक्स लगने से खेती की लागत थोड़ी बढ़ी है, पर राज्यों के बीच की सीमाएं हटने से किसानों के लिए अपना माल पूरे देश में बेचना आसान हुआ है। ई-कॉमर्स के मामले में सरकार ने टीसीएस व्यवस्था लागू की है। इससे टैक्स चोरी रुकी है और पारदर्शिता आई है। अब छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए भी बिना किसी राज्यवार कानूनी झंझट के पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंचना मुमकिन हो गया है।
3. रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल-निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि तैयार मकान जीएसटी से बाहर हैं। सीमेंट और स्टील पर 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की ऊंची दरों के कारण बिल्डरों की लागत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पक्के बिलों की अनिवार्यता से इस सेक्टर में काले धन का खेल कम हुआ है और खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। गाड़ियों के मामले में, बड़ी कारों और एसयूवी पर 28 प्रतिशत टैक्स के साथ अतिरिक्त उपकर लगता है। वहीं, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स रखा गया है, जिससे कंपनियां अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं।
4. टेक्सटाइल और हस्तशिल्प की चुनौती -कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग को ''इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर'' की अनोखी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कच्चे माल (जैसे धागे) पर टैक्स ज्यादा है और तैयार कपड़े पर कम। इस वजह से व्यापारियों का पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सरकार के पास जमा हो जाता है। इसका रिफंड पाने की कागजी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि छोटे बुनकरों और कारीगरों का पैसा अटक जाता है। इस नकदी संकट ने उनके रोजमर्रा के काम और मजदूरी देने की क्षमता को काफी प्रभावित किया है।

8. अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन

दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जीएसटी या वैट की एक ही दर होती है या बहुत कम स्लैब होते हैं। इससे वहां टैक्स का हिसाब-किताब बेहद सीधा और विवाद-मुक्त रहता है। इसके उलट, भारत की जीएसटी व्यवस्था काफी अलग और बहुस्तरीय है। यहाँ मुख्य रूप से 5% और 18% के स्लैब हैं, कुछ जरूरी चीजें टैक्स-फ्री हैं, तो लग्जरी सामानों पर 40% तक टैक्स लगता है। परंतु भारत की यह जटिलता हमारी जरूरतों के हिसाब से जरूरी है। पहली बात, हमारे देश के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय हितों को देखना होता है। दूसरी बात, हमारे समाज में बड़ी आर्थिक असमानता है। इसलिए तार्किक रूप से आम जनता के खाने-पीने के जरूरी सामान को टैक्स-फ्री या सबसे निचले स्लैब में रखा गया है, जबकि अमीरों की लग्जरी और नुकसानदेह चीजों पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है।

बहु-स्तरीय कराधान ढांचे के परिणाम और निष्कर्ष

सकारात्मक पक्ष	नकारात्मक पक्ष / चुनौतियां
सामाजिक न्याय और प्रगतिशील कर नीति।	प्रशासनिक जटिलता और कर अनुपालन (Compliance) लागत में वृद्धि।
राज्यों के राजस्व की सुरक्षा।	वस्तुओं के वर्गीकरण को लेकर कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी।

9. रोजगार एवं अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण पर प्रभाव

1 जुलाई 2017 को लागू हुए जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। इसके असर को हम कुछ मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं-

1. अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण- इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम की वजह से बड़ी कंपनियों ने सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स से सामान खरीदना शुरू किया। बाजार में टिके रहने के लिए लाखों छोटे-मझोले कारोबारियों ने खुद को रजिस्टर कराया, जिससे देश का टैक्स बेस बढ़ा।
2. सुरक्षित रोजगार-बिजनेस के फॉर्मल होते ही कंपनियों पर लेबर कानून लागू हुए। नतीजतन, पीएफ और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं से जुड़ने वाले संगठित कर्मचारियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई।
3. नए रोजगार- हर महीने ऑनलाइन रिटर्न भरने और डिजिटल बिलिंग की जरूरत ने जीएसटी एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेटा एनालिस्ट्स के लिए नौकरियों की बाढ़ ला दी।
4. असंगठित क्षेत्र की मुश्किलें- शुरुआती दौर में कंप्यूटर और कागजी नियमों की जटिलता के कारण कई छोटे और कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिससे दिहाड़ी मजदूरों को कुछ समय के लिए बेरोजगारी झेलनी पड़ी।

संक्षेप में कहें तो, जीएसटी ने देश को नकदी की व्यवस्था से निकालकर डिजिटल और पारदर्शी बनाया है, जो लंबे समय में सुरक्षित रोजगार के लिए बेहद फायदेमंद है।

पिछले कुछ सालों (2024-26) में हर महीने ₹1.90 लाख करोड़ से ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स आना अब सामान्य हो गया है। कोविड के दौर को छोड़ दें, तो एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों की मदद से टैक्स चोरी रुकी है और कलेक्शन हर साल लगातार बढ़ा है। कुल मिलाकर, बेहतर नियमों और आर्थिक सुधार से सरकारी खजाना लगातार मजबूत हो रहा है।

भारत में वर्ष-वार जीएसटी संग्रहण की प्रवृत्ति (2017 से 2026 तक)

वित्तीय वर्ष	औसत मासिक संग्रहण की सामान्य प्रवृत्ति	मुख्य विशेषता / प्रेरक कारक
2017-18 *(9 महीने)*	प्रारंभिक/अस्थिर (~₹89,875 करोड़)	क्रियान्वयन का प्रथम वर्ष, शुरुआती तकनीकी समस्याएं और संक्रमण काल।
2018-19	स्थिरीकरण की दिशा में (~₹98,083 करोड़)	रिटर्न प्रणाली में सुधार और प्रक्रियाओं का सरल होना।
2019-20	क्रमिक वृद्धि (~₹1.02 लाख करोड़)	**ई-वे बिल (e-Way Bill) प्रणाली** का सुदृढ़ीकरण और ₹1 लाख करोड़ का स्तर पार होना।
2020-21	अस्थायी गिरावट (~₹94,667 करोड़)	**कोविड-19 महामारी** और देशव्यापी लॉकडाउन का प्रभाव।
2021-22	मजबूत सुधार / रिकवरी (~₹1.24 लाख करोड़)	महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी और अनुपालन (Compliance) में सुधार।
2022-23	तीव्र वृद्धि (~₹1.51 लाख करोड़)	**ई-इनवॉइसिंग (e-Invoicing)** का दायरा बढ़ना और कर चोरी पर सख्त निगरानी।
2023-24	ऐतिहासिक मील का पत्थर (~₹1.68 लाख करोड़)	कुल वार्षिक संग्रहण पहली बार **₹20 लाख करोड़** के पार पहुंचा; मजबूत घरेलू मांग।
2024-25	निरंतर सुदृढ़ीकरण (~₹1.84 लाख करोड़)	कुल वार्षिक संग्रहण **₹22.08 लाख करोड़** रहा; अप्रैल 2024 में ₹2.10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मासिक संग्रहण हुआ।
2025-26 *(अनुमानित)*	उच्च और स्थिर स्तर (~₹1.90 - ₹1.92 लाख करोड़)	कर आधार (Tax Base) में व्यापक विस्तार, डिजिटल ऑडिट और 1.51 करोड़ से अधिक सक्रिय करदाता।

संदर्भ सूची (References)

1. जीएसटी परिषद सचिवालय. (2025). *भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण की वार्षिक प्रवृत्ति (2017-2025)*. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
2. बिजनेस स्टैंडर्ड. (2025, जनवरी 15). *डिजिटल इंडिया और जीएसटीएन: छोटे व्यापारियों में बढ़ती डिजिटल साक्षरता.* https://www.business-standard.com/hindi/article/digital-india-and-gstn-impact
3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC). (2024). *जीएसटी के सात वर्ष: एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का विज़न.* भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
4. भारत सरकार. (2024). *आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24: खंड 1 (राजकोषीय विकास और कर सुधार)*. आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय।

5. एशियाई विकास बैंक [ADB]. (2024). *भारत में कर सुधार और डिजिटल अवसंरचना का समन्वय: एक नीतिगत विश्लेषण* (एडीबी वर्किंग पेपर सीरीज संख्या 890).
6. इकोनोमिक टाइम्स (हिंदी). (2024, मई 2). *रिकॉर्ड स्तर पर टैक्स कलेक्शन: अप्रैल में जीएसटी संग्रहण ₹2.10 लाख करोड़ के पार.* https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/gst-collection-historic-high
7. जीएसटी परिषद सचिवालय. (2023). *भारत में वस्तु एवं सेवा कर: विसंगतियों का निवारण और कर स्लैब का सरलीकरण.* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
8. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [IMF]. (2023). *भारत: व्यापक आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधार रिपोर्ट* (आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट संख्या 23/412). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/12/23/India-2023-Article-IV-Consultation
9. तिवारी, एम. के. (2023). *ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था में टीसीएस (TCS) की भूमिका: जीएसटी के बाद का परिदृश्य।* डिजिटल व्यवसाय और कर जर्नल, 12(1), 78–94.
10. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC). (2022). *जीएसटी के पांच वर्ष: आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुदृढ़ीकरण.* भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
11. विश्व बैंक समूह. (2022). *भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा: जीएसटी के माध्यम से आंतरिक व्यापार का औपचारिकीकरण.* विश्व बैंक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस।
12. मिश्रा, एस., और जोशी, एन. (2022). *भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में कर संरचना का विश्लेषण: वैट से जीएसटी तक का सफर।* शहरी विकास एवं आवास जर्नल, 24(2), 105–121.
13. शर्मा, आर., और वर्मा, एस. (2022). *वस्त्र एवं हस्तशिल्प उद्योग में उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) की चुनौतियां।* भारतीय लघु और मध्यम उद्योग समीक्षा, 15(4), 112–129.
14. कुमार, ए., और सिंह, पी. (2021). *भारतीय विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला दक्षता पर जीएसटी का प्रभाव।* भारतीय आर्थिक और वाणिज्यिक समीक्षा, 18(3), 45–62.
15. सिंह, ए. के. (2021). *अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण और रोजगार के बदलते स्वरूप: जीएसटी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।* श्रम एवं रोजगार जर्नल, 28(4), 201–218.